न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- /2025
प्रार्थी :-

राजस्थान सरकार,
जरिये तहसीलदार बिलाडा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :- तहसीलदार बिलाडा

निर्णय **दिनांकः-** 19/05/25

यह प्रकरण तरमीम शुद्धि के तहत तहसीलदार बिलाडा द्वारा राजस्व ग्राम चांदेलाव के खसरा नंबर 125/2, खसरा नंबर 125/4 ऑनलाईन नक्शे में गलत तरमीम के स्थान पर सही तरमीम को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 136 के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

पत्रावली का अध्ययन किया गया, राजस्व रेकर्ड एवं मौका निरीक्षण किया गया। तहसीलदार बिलाडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि

1. ग्राम चांदेलाव के खसरा सं. 125/2 रकबा 1.2944 हैक्ट.

ग्राम चान्देलाव का नामान्तरकरण सं. 582 दिनांक 04.02.1986 खसरा सं. 125 रकबा 89 बीघा 09 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन आगौर में से 8 बीघा भूमि गैर मुमकिन आबादी आवंटन किये जाने से दर्ज हुआ है। इस नामान्तरकरण की पुस्त पर तरमीम नक्शा अंकित है। इस वर्तमान खसरा सं. 125/2 रकबा 1.2944 हैक्टयर है। पटवारी हल्का चान्देलाव के पास उपलब्ध नक्शा लटठा में खसरा सं. 125/2 की पुख्ता तरमीम कि हुई है।, जो नामान्तरकरण सं. 582 की पुस्त पर अंकित नक्शा अनुसार नहीं है। ग्राम चान्देलाव के ऑनलाईन नक्शा डी.आई.एल.आर.एम. पी शीट में तरमीम अंकित है। यह भी नामान्तरकरण सं. 582 की पुस्त पर अंकित नक्शा अनुसार नहीं है।

निष्कर्ष :- मौके पर मकान एवं बाडे आदि बने हुए है जो नामान्तरकरण सं. 582 क पुस्त पर अंकित नक्शे से मिलान हो रही है। इसके पडौस इस प्रकार है- पूर्व और पश्चिम दोनो तरफ रास्ते, उतर में खसरा सं. 125/4 तथा दक्षिण में खसरा सं. 215 मूल आबादी है।

2. ग्राम चान्देलाव के खसरा सं. 125/4 रकबा 3.8832 हेक्टयर

चान्देलाव के नामा. सं. 1122 दिनांक 09.09.2002 खसरा सं. 125 रकबा 81 बीघा 14 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन आगौर में से रकबा 24 बीघा किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज हुआ। इस नामान्तरकरण की पुस्त पर तरमीम नक्शा अंकित है। इस आंवटन

उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

का वर्तमान खसरा सं. 125/4 रकबा 3.8832 हैक्टयर है। पटवारी हल्का चान्देलाव उपलब्ध नक्शा लठ्ठा में इस खसरे की तरमीम नहीं है। ऑनलाईन/डी.आई.एल.आर.एम.पी. शीट में तरमीम अंकित है, जो नामान्तरकरण सं. 1122 की पुस्त पर अंकित तरमीम नक्शा अनुसार नहीं है।
निष्कर्षः– मौके पर मकान व बाडे आदि बने हुए है, जो नामा. सं. 112 की पुस्त पर तरमीम अनुसार है परन्तु ऑनलाईन/डी.आई. एल.आर.एम.पी शीट में की गई तरमीम नामा. सं. 1122 की पुस्त पर तरमीम से भिन्न है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि राजस्व ग्राम चान्देलाव के खसरा नंबर 125/2 का नामा. सं. 582 दिनांक 4.2.1986 की पुस्त पर तरमीम अंकित है। तथा तहसीलदार बिलाडा द्वारा संलग्न नक्शा ट्रेस, ऑनलाईन नक्शा में पुस्त से भिन्न तरमीम होना दर्शाया है। इसी प्रकार राजस्व ग्राम चान्देलाव के खसरा नंबर 125/4 का नामा. सं. 1122 दिनांक 09.09.2002 की पुस्त पर तरमीम अंकित है। तथा तहसीलदार बिलाडा द्वारा उपलब्ध नक्शा लटठा में तरमीम नहीं होना बताया तथा ऑनलाईन/डी.आई.एल.आर.एम.पी शीट में तरमीम को नामा. की पुस्त से भिन्न दर्शाया गया। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि राजस्व ग्राम चान्देलाव के खसरा नंबर 125/2 व खसरा नंबर 125/4 का नामा. की पुस्त की अनुसार किया जाना उचित रहेगा।

:–आदेश–:

अतः तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है कि ग्राम चांदेलाव तहसील बिलाडा के खसरा नंबर 125/2, खसरा नंबर 125/4 का नामान्तकरण की पुस्त के अनुसार नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 19/05/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा